कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन,भोपाल--462004

कमांक 22 / 83 /आउशि / 16, भोपाल,दिनांक 07-01-2017

प्रति,

1. **समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,**
उच्च शिक्षा, म0प्र0
2. **प्राचार्य,**
समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,मध्यप्रदेश।
3. **प्राचार्य,**
समस्त अशासकीय महाविद्यालय,मध्यप्रदेश।

विषयः--मध्यप्रदेश ई छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 में संस्था कोड तथा पाठ्यकम कोड जोडने तथा विद्यार्थियों की जानकारी सत्यापन के संबंध में दिशा निर्देश।

विषयांतर्गत लेख है कि विगत राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा निर्मित मध्यप्रदेश ई छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 (एमपीईएसपी 2.0) के माध्यम से छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का कार्य प्रचलन में है। इस हेतु संबंधित विभागीय शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना है:--

1--छात्रवृत्ति आवेदनों के सत्यापन/अग्रेषण हेतु--एमपीईएसपी 2.0 पर विद्यार्थियों के आवेदनों को सत्यापन करने हेतु उनके द्वारा भरी हुई जानकारी तथा संदर्भ के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल (10वीं कक्षा), समग्र आई0डी0 का डेटा एवं काउंसलिंग का डेटा उपलब्ध कराया जाता है परन्तु एमपीईएसपी 2.0 पर सीबीएसई बोर्ड (10वीं कक्षा) का डेटा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अथवा माध्यमिक शिक्षा मण्डल या समग्र आई0डी0 या काउसलिंग के डेटा में विसंगति की परिस्थिति में विद्यार्थी के आवेदनों को निरस्त नहीं किया जाना है एवं विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों के आधार पर संबंधित जाति/वर्ग/लिंग/जन्मतिथि /पिता का नाम/माता का नाम इत्यादि जानकारी को सत्यापित करते हुए आवेदन पर कार्यवाही की जानी है।

2--संस्था कोड/पाठ्यकम के अपडेशन के संबंध में--एमपीईएसपी 2.0 पर उपलब्ध संस्थाओं तथा उनसे संबंधित पाठ्यकमों की कोड मेपिंग की गई है एवं विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन करते समय संबंधित संस्था तथा पाठ्यकम का चयन किया जाना होता है परन्तु नवीन संस्थाओं को एमपीईएसपी 2.0 पर संस्था कोड तथा संबंधित पाठ्यकम कोड प्राप्त करने हेतु संलग्न प्रारूप में जानकारी भरकर मुख्यालय को भेजा जाना है। विद्यमान संस्थाओं के कोड एवं उनमें संचालित पाठ्यकमों को एमपीईएसपी 2.0 पर मेप कराने हेतु भी मुख्यालय में आवेदन प्रस्तुत किये जाने है। इस हेतु दिनांक 10.1.2017 तक मुख्यालय के शासकीय ईमेल आई0डी0 affil-he@mp.gov.in तथा vineet.tiwari@mapit.gov.in पर आवेदन प्रेषित करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् संस्था कोड तथा पाठ्यकम कोड मेपिंग संबंधित विसंगतियों के निराकरण पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा लागू किया जाता है।

संलग्न--नवीन संस्थाओं के कोड तथा पाठ्यकम कोड आवेदन हेतु प्रारूप।

टीप-- पत्र की प्रति शासकीय अधिकृत ईमेल आईडी से प्रेषित की जा रही है। अतः पृथक से मुद्रित प्रति नहीं भेजी जावेगी।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा आदेशित)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृ0 कमांक 23 / 83 /आउशि / 16, भोपाल,दिनांक 07-01-2017.

प्रतिलिपिः--

1. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग,म0प्र0 भोपाल
2. आयुक्त, अन्य पिंछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग, मध्यप्रदेश,भोपाल।
3. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार, उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश,भोपाल।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

1. Department of Higher Education, Department of Technical Education, Department of Medical Education, Department of Indian Systems of Medicines are the nodal Line departments for scholarships at State level.

2. Line departments have been advised to nominate two officers as State Scholarship Nodal Officers. They will be responsible for coordinating with all institutions under their domain.

3. All line departments have been requested to provide the verified and authentic data on institutions and approved courses centrally in following formats to portal team and SC/ST/OBC dept.

- Letter issued by SC Development Department to Line departments.
- Letter issued by ST Development Department to Line departments.
- Letter issued by NIC to Tribal Development Department.
- Letter issued by NIC to SC Development Department.

a. Format for recognized Institutions to be provided by Line Depts

Note: One college will appear only once in the following table

Name of Line Department:--------------------

S.No.	College / Institution Code	College / Institution Name	College / Institution Address	District	Institute Type (Govt. / Private)

b. Format for recognized Courses

Note: One Courses and branch will appear only once in the following table

Name of Line Department:--------------------

S.No.	Course Code	Course Name	Branch Name	Course Level (UG, PG, Diploma, PG Diploma)	Duration in years	Department

c. Details of approved Courses Being run by various recognized institutions

Note: Combination of college and courses will appear only once in the following table

Name of Line Department:--------------------

S.No.	Institute Code	Course Code

4. Thus, the data of recognized institutions and colleges and approved courses being run by them will be provided at state level to the portal team by the concerned line departments.

5. Once the data is provided by the concerned line department in Speard sheet or database format (to SC Dept/ST Dept/OBC Dept), it will be imported into the scholarship portal database.

6. These institutions and courses will then be available in the scholarship application form of students. Line departments will on regular basis provide the details of the institutions and courses that are recognised on regular basis in the above formats.

7. It will **NOT** be possible to add colleges at District level.

8. It will **NOT** be possible for institute to add courses at their level.

9. In case, the college and course does not appear in the list of Colleges and courses on portal, **the college authorities will have to contact the concerned line departments.**

10. As on now, **Department of Higher Education has already provided the data** in the required format and the same has been imported.
Other departments have **NOT** yet provided the data in specified format.